


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>सुरेश कुमार पूनमचंद पुरोहित पता :- G2 Sai Preem Bldg 600 Feet road, Near jain Temple Bhayendar Wast, Thane&amp; 401101 Maharashtra</p> <p>बनाम</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बाली</p> <p>प्रथम सूचना अपील संख्या :- 48/2021</p> <p>जीसीएमएस नं. :- 2021/138</p> <p>(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख</p> <p>अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>15/3/22</p>	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित ।</li> <li>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 06.04.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li> <li>3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./2005/2022/15 दिनांक 24.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 की सूचना पटवार हल्का बीजापुर द्वारा दिनांक 05.06.2021 को अपीलार्थी के प्रतिनिधी भवानीसिंह को उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 4 व 5 की सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./2005/2021/301 दिनांक 13.9.2021 के उपलब्ध करवा दी गई है। तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना अनुपलब्ध व 3 की सूचना शून्य होने बाबत अपीलार्थी को जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./2005/2021/301 दिनांक 13.09.2021 के अवगत करा दिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा वांछित देय सूचना इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</li> <li>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित देय सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है।</li> <li>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।</li> <li>6. निर्णय आज दिनांक 15/03/2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</li> </ol> <p style="text-align: center;">       नमित मेहता      प्रथम अपीलीय अधिकारी      लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली   </p>	